दिनांक 31.07.2022
प्रेस विज्ञप्ति 31/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फतेहपुर/थाना किशनपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 04 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 31.07.2022 को थाना किशनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरौलिया मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजकुमार उर्फ रजौली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 04 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फतेहपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना किशनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 138/2021 धारा 392/411/120बी भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना किशनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजकुमार उर्फ रजौली निवासी बरौलिया थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–लूट के 04 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने के आभूषण**
- **चोरी के 03 हजार 530 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद**

दिनांक 30.07.2022 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धमेड़ा रोड़ ब्रम्हानन्द स्कूल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त गौतम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने के आभूषण, चोरी के 03 हजार 530 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 548/2022 धारा 457/380/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—गौतम निवासी ज्ञानलोक कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के सोने के आभूषण।

2—चोरी के 03 हजार 530 रूपये नगद।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—39</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का 01 ई—रिक्शा**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 31.07.2022 को थाना सेक्टर—39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर—96 से सेक्टर—98 के पास चेकिंग के दौरान ई—रिक्शा सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—रोहित उर्फ मोनू उर्फ राहुल घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—राज 3—मनीष सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट का 01 ई—रिक्शा, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.07.2022 को थाना सेक्टर—39 क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर—39 पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तार व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ई—रिक्शा उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर—39 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोहित उर्फ मोनू उर्फ राहुल निवासी गेझा सेक्टर—93 थाना फेस—2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2—राज निवासी गेझा सेक्टर—93 थाना फेस—2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3—मनीष निवासी गेझा सेक्टर—93 थाना फेस—2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—लूट का 01 ई—रिक्शा।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

जनपद पीलीभीत/थाना सुनगढी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 31.07.2022 को थाना सुनगढी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1—शंकर 2—चेतराम उर्फ कंचनलाल 3—आकाश को गिरफ्तार कर चोरी की

घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.07.2022 को थाना सुनगढी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सुनगढी पर मु0अ0सं0 372/2022 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सुनगढ़ी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शंकर निवासी पिपरा थाना सुनगढी जनपद पीलीभीत।

2–चेतराम उर्फ कंचनलाल निवासी पिपरा थाना सुनगढी जनपद पीलीभीत।

3–आकाश निवासी रेलवे कॉलोनी थाना सुनगढी जनपद पीलीभीत।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

जनपद औरैया/थाना दिबियापुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 51 सोलर प्लेट बरामद**

दिनांक 31.07.2022 को थाना दिबियापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कम्प्रेशर बम्बा के पास से 03 शातिर अभियुक्तों 1–शिवा उर्फ शेरू 2–आकाश उर्फ हनी

3–विमलेश को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 51 सोलर प्लेट बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.07.2022 को थाना दिबियापुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दिबियापुर पर मु0अ0सं0 395/2022 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तो से बरामद प्लेट उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त शिवा उर्फ शेरू के विरूद्ध जनपद औरैया के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना दिबियापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवा उर्फ शेरू निवासी झावर पुर्वा थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

2–आकाश उर्फ हनी निवासी झावर पुर्वा थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

3–विमलेश निवासी झावर पुर्वा थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

बरामदगी

1–चोरी के 51 सोलर प्लेट।

जनपद मेरठ/थाना जानी

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **12 किलो 30 ग्राम अवैध गांजा**
- **अवैध गांजा बिक्री के 30 हजार 100 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 क्रेटा कार**
- **08 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 31.07.2022 को थाना जानी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहिउद्दीनपुर के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1– गौरव

कुमार 2–निजाम उर्फ निजामुद्दीन 3–युसुफ 4–सलीम को गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 12 किलो 30 ग्राम अवैध गांजा, अवैध गांजा बिक्री के 30 हजार 100 रूपये नगद, चोरी की 01 क्रेटा कार, 08 मोबाइल फोन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जानी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गौरव कुमार निवासी देवपुरा डाक नन्दगांव थाना खेड़ा राठोर जनपद आगरा, हालपता मुरादनगर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

2–निजाम उर्फ निजामुद्दीन निवासी श्यामनगर तारापुरी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ, स्थायी पता कोराली थाना शिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

3–युसुफ निवासी सिवाल खास थाना जानी जनपद मेरठ।

4–सलीम निवासी मजीदनगर थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–12 किलो 30 ग्राम अवैध गांजा।

2–अवैध गांजा बिक्री के 30 हजार 100 रूपये नगद।

3–चोरी की 01 क्रेटा कार।

4–08 मोबाइल फोन।

––––––––––